

पत्र सं०-एम-4-05/2018...1971...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/

सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार
पटना-15, दिनांक..15/3/18.....

विषय :- राज्य के सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा
संधारित बैंक खातों की सूचना कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध
कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-8978/वि०, दिनांक
17.11.2017 का निदेश करें, जिसके द्वारा सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा
संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए, जिन बैंक खातों
का संधारण आवश्यक नहीं है, उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की
संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में
दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराये जाने का निदेश दिया गया है, जिसे वित्त
विभागीय पत्रांक-676 दिनांक 29.01.2018 एवं 782 दिनांक 01.02.2018 द्वारा
क्रमशः दिनांक 31.01.2018 एवं दिनांक 07.02.2018 तक विस्तारित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त निदेश उन बैंक खाताओं पर प्रभावी
नहीं है, जिनका संधारण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजना की मार्गदर्शिका
में निहित प्रावधान के आलोक में तथा भारत सरकार/लोक उपक्रमों से भू-अर्जन
हेतु प्राप्त राशि को बैंक खाता में रखने हेतु किया गया है ।

3. वित्त विभाग में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट है कि बैंक
खातों में संचित राशि जिसका व्यय दिनांक 31.03.2018 तक संभावित नहीं है,
को समेकित निधि में जमा कराये जाने की प्रगति अत्यंत ही धीमी है तथा अभी
भी एक बड़ी राशि बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत है, जो बिहार कोषागार
संहिता, 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रतिकूल है ।

4. बेहतर वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से बैंक खातों में जमा राशि के
संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(i) राज्य के सभी कार्यालय प्रधान दिनांक 04.04.2018 तक सभी
बैंक खाता में संचित राशि (कंडिका-2 में उल्लेखित बैंक खातों को
छोड़कर) का विवरण निम्नांकित प्रपत्र में Excel में तैयार की गई
सॉफ्टकॉपी (स्कैन नहीं किया हुआ) संगत प्रमाण पत्र के साथ संबंधित
कोषागार में उपलब्ध करायेगें ।

प्रमाण-पत्र

(क) प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कार्यालय में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी या कार्यालय प्रधान या अन्य पदाधिकारी के पदनाम से संधारित निम्नांकित बैंक खाते हैं तथा इसके अतिरिक्त मेरे कार्यालय में कोई बैंक खाता संधारित नहीं है ।

क्र०	कार्यालय का नाम	विभाग का नाम	बैंक/शाखा का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक संचित राशि	खाता चालू रखने का औचित्य	बंद किये गये बैंक खातों की कुल संख्या

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर
(ख) प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा संधारित बैंक खाता में संचित राशि एवं अव्यवहृत राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में जमा करा दिया गया है ।


निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

(ii) संबंधित कोषागार पदाधिकारी सभी कार्यालय प्रधान/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन (कंडिका-4'क' में उल्लेखित) को संकलित कर विहित प्रपत्र में ई-मेल आई.डी. finance1@bihar.gov.in पर Excel में तैयार की गई सॉफ्टकॉपी (स्कैन नहीं किया हुआ) दिनांक 07.04.2018 तक निश्चित रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायेगें ।

(iii) सभी कोषागार पदाधिकारी सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि **“बैंक खाता में संचित राशि, जिसका व्यय दिनांक 31.03.2018 तक संभव नहीं था, को राज्य के समेकित निधि में जमा करा दिया गया है ।”**

उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही मार्च माह, 2018 का वेतन छोड़कर अप्रैल 2018 से कोई भी विपत्र कोषागार द्वारा पारित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

14/3/18
(सुजाता) चतुर्वेदी
प्रधान सचिव